

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
संसं०-४ / निदे०-यो०-छात्रवृति-०१ / २०१२

प्रेषक,  
एस०एम० राजू  
सरकार के सचिव।

सेवा में,  
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक—  
विषय:— वित्तीय वर्ष २०१३-१४ से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृति स्वीकृति के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०१३-१४ से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के लिये संचालित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत ऑफ लाईन आवेदन पत्र समर्पित करने हेतु दैनिक समाचार पत्रों के अंको में दिनांक २७.१०.२०१३ को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस वर्ष से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना हेतु नवीन एवं नवीकृत छात्रवृति के लिये आवेदन पत्र का नया प्रारूप विभाग द्वारा तैयार कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। संस्थान द्वारा आवेदक को आवेदन पत्र का प्राप्ति रसीद देने हेतु भी एक प्रारूप तैयार कर पत्राचार भाग पर अपलोड है। इस वित्तीय वर्ष से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का स्वीकृति जिला स्तर पर राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर के I.A, I.Com., I.Sc., B.A., B.Com., B.Sc., M.A., M.Com. M.Sc. का ही किया जायेगा। शेष सभी तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का छात्रवृति का स्वीकृति मुख्यालय स्तर पर किया जायेगा।

अतएव उपरोक्त के आलोक एवं विज्ञापन की प्रति में दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड छात्रवृति आवेदन पत्र (छाया प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष २०१३-१४ से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के लिये संचालित प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना से संबंधी कार्य सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनु०-यथोक्त।

ह०/-  
(एस०एम० राजू)  
सरकार के सचिव।

-2-

ज्ञापांक— 4/निदेशो—योगी—छात्रवृति—01/2012— २६०३ पटना, दिनांक:— ३१/१०/१३  
प्रतिलिपि:— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास  
आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशकए कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

३ अक्टूबर १३